प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 03/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा 'भू-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए विनियामक ढांचे' पर सिफारिशें जारी करता है

नई दिल्ली, 15 जनवरी 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'भू-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए विनियामक ढांचे' पर सिफारिशें जारी किया है।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा जारी 'भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022', जिसमें टीवी प्रसारण सेवाओं के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, प्रसारकों के लिए डिस्ट्रीब्युटसन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) को अपने चैनल प्रदान करने के लिए उपग्रह माध्यम का उपयोग करना अनिवार्य बनाता है।

3. प्रौद्योगिकी की प्रगति ने प्रसारकों के लिए अपने टेलीविजन चैनलों को डीपीओ को स्थलीय रूप से भी प्रदान करना संभव बना दिया है, अर्थात स्थलीय संचार प्रौद्योगिकियों, जैसे वायरलाइन (उदाहरण के लिए केबल/फाइबर, आदि) अथवा वायरलेस (उदाहरण के लिए सेलुलर/माइक्रोवेव/वाई-फाई, आदि)/इंटरनेट/क्लाउड का उपयोग कर। स्थलीय रूप से प्रेषित चैनलों को पुन: संचरण के लिए एक साथ कई डीपीओ के नेटवर्क में ले जाया जा सकता है। इन प्रगतियों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाता तकनीकी प्रगति का पूरी तरह से लाभ उठा सकें, एक सक्षम ढांचा स्थापित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

4. एमआईबी ने दिनांक 22 मई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत "भू-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए विनियामक ढांचा" पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी हैं।

5. तदनुसार, भादूविप्रा ने 18 अक्टूबर 2024 को 'भू-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए विनियामक ढांचा' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परामर्श प्रक्रिया के तहत, खुला मंच चर्चा (ओएचडी) 20 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था।

6. प्राप्त टिप्पणियों, प्रति-टिप्पणियों, ओएचडी के दौरान एकत्र किए गए इनपुट और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'भू-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए विनियामक ढांचा' पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

क) भू-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए ढांचा, पारंपरिक सैटेलाइट-आधारित ब्रॉडकास्टर्स के लिए 'भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022' में निहित ढांचे के समान होगा, जिसमें उपग्रह संचार माध्यम से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर सभी दिशा-निर्देश भू-आधारित प्रसारण मॉडल के अनुरूप लागू होंगे।

ख) भू-आधारित प्रसारकों को कार्यक्षेत्र स्थलीय संचार माध्यम का उपयोग करते हुए डिस्ट्रीब्युसन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) को टेलीविजन चैनल उपलब्ध कराना होगा ताकि उसे आगे पुन:प्रसारण किया जा सके।

ग) भू-आधारित प्रसारक डीपीओ को चैनलों को उपलब्ध कराने के लिए किसी भी स्थलीय संचार माध्यम का उपयोग कर सकता है। स्थलीय संचार प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और प्रसारक-इकाई अपने व्यावसायिक निर्णय के अनुसार एक से अधिक ऐसी प्रणालियों का उपयोग कर सकती है।

घ) अनुमति प्राप्त चैनल के मामलों में, एक भू-आधारित ब्रॉडकास्टर (जीबीबी) केंद्र सरकार की उचित अनुमति के पश्चात प्रसारण के लिए माध्यम को बदल सकता है या अतिरिक्त रूप से उपग्रह माध्यम का उपयोग कर सकता है। इसी तरह, एक उपग्रह-आधारित ब्रॉडकास्टर (एसबीबी) केंद्र सरकार की उचित अनुमति के पश्चात प्रसारण के लिए माध्यम को बदल सकता है या इसके अतिरिक्त स्थलीय संचार माध्यम का उपयोग कर सकता है।

च) भू-आधारित प्रसारक के लिए सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होगा।

छ) एमआईबी जांच कर सकता है कि क्या मुफ्त विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (एफएएसटी) चैनल मौजूदा दिशानिर्देशों / नीति ढांचे के अनुरूप हैं। यदि आवश्यक हो, तो एमआईबी भादूविप्रा के परामर्श से ऐसे चैनलों के लिए आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

ज) प्राधिकरण 2 मई 2023 को 'दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय करने में सुगमता' पर अपनी सिफारिशों को दोहराता है, जो भू-आधारित प्रसारकों पर एक सीमा तक लागू है।

7. सिफारिशों को ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर जारी किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए भादूविप्रा की सलाहकार (बी एंड सीएस) डॉ. दीपाली शर्मा से दूरभाष नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 15/1/24

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा